# बिहार सरकार
## सहकारिता विभाग

पत्रांक–05/साख बैंक (पै॰प्रो॰यो॰)–16/24सह॰ ....................

सेवा में,

**प्रधान महालेखाकार(ले॰ एवं हक॰),**
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

**विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अतंर्गत मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत लाभार्थी समितियों (पुरस्कृत पैक्सों) को भुगतान हेतु ₹3,97,00,000/–(तीन करोड़ सन्तानवे लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से विभागीय अधिसूचना संख्या–2897, दिनांक–16.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है। उक्त योजना के तहत राज्य स्तर पर 03(तीन) पैक्स एवं जिला स्तर पर 03(तीन) पैक्स को पुरस्कृत किया जाना है। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में चयनित पैक्स को क्रमशः 15(पन्द्रह) लाख, 10(दस) लाख एवं 07(सात) लाख रूपया तथा जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में चयनित पैक्स को क्रमशः 05(पाँच) लाख, 03(तीन) लाख एवं 02(दो) लाख रूपया वितरित किया जाना है। अतः विभागीय अधिसूचना संख्या–2897 दिनांक–16.06.2025 में निहित शर्तो के अधीन पैक्सों को पुरस्कृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना हेतु ₹3,97,00,000/–(तीन करोड़ सन्तानवे लाख) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**2.** उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप–मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0105–मुख्य मंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना, विपत्र कोड–09–2425001070105, विस्तृत शीर्ष–05–पुरस्कार, विषय शीर्ष–01–पुरस्कार के अंतर्गत विकलनीय होगी।

**3.** उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी CFMS के माध्यम से कर लाभार्थी समितियों (पुरस्कृत पैक्सों) के खाते में एक मुश्त NEFT/RTGS के माध्यम से स्थानातंरित करेंगे। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

**4.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा

वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

**5.** इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

**6.** स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

**7.** स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–05/साख बैंक(पै॰प्रो॰यो॰)–16/24सह0 के पृ० सं०– 23/टि० दिनांक– 13.06.2025 पर प्राप्त है।

**8.** स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–05/साख बैंक(पै॰प्रो॰यो॰)–16/24सह0 के पृ० सं०– 24/टि० दिनांक– 16.06.2025 पर प्राप्त है।

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–05/साख बैंक (पै॰प्रो॰यो॰)–16/24सह॰ 163 /पटना, दिनांक 17/06/2025

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

ई-मेल

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार/ सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/अवर सचिव, प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

17.06.2025

17.06.25
सरकार के अपर सचिव।